

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीमद.ला. व भू अभिलेख निरीक्षक करेड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्रीमद.ला. पटवार हल्का श्रीमद.ला. तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073-76 में खाता संख्या 223 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	श्रीमद.ला.	223	अपरी डेकी पत्नी चामन्यन्त का नाम छुट गला	अपरी डेकी पत्नी चामन्यन्त महाजन का नाम खाते में जोड़े जाने का आदेश दिया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
(सहायक) कलेक्टर करेड़ा

क्रमांक:- न्यायालय / 2022/ 299-A

दिनांक:- 14/11/2022

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री अपरी डेकी चामन्यन्त महाजन

उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

